08/6/2020
2:55

# कार्यालय केन्द्रीय नजारत जनपद न्यायालय, लखनऊ

## नीलामी सूचना

दिनांक: 08.06.2020

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शेष वित्तीय वर्ष 2020–2021 के लिए माननीय जिला जज लखनऊ महोदय द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन जनपद न्यायालय लखनऊ परिसर में स्थित दुकानों/कैन्टीनों/भोजनालय की नीलामी दिनांक 20.06.2020 को अपरान्ह 1:00 बजे व माननीय उच्च न्यायालय के पुराने परिसर स्थित वाहन स्टैण्डों की नीलामी दिनांक 20.06.2020 को अपरान्ह 04 बजे उत्तरीखण्ड भवन के भूतल पर स्थित सभागार कक्ष में किराये पर नीलामी होने वाली दुकानों की न्यूनतम बोली एवं धरोहर बोली की सूची निम्न प्रकार है:–

**वित्तीय वर्ष 2020–2021 में नीलाम होने वाली प्रस्तावित दुकानों/वाहन स्टैण्डो की समायोजन के पश्यात् 09 माह के लिए धरोहर राशि एवं न्यूनतम बोली राशि का विवरण**

| क0 सं0 | स्थल का नाम | प्रयोजन | धरोहर राशि (रुपया में) | प्रस्तावित न्यूनतम बोली (रुपया में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | फोटोग्राफर दुकान नं0 1, गेट नं0 4 के बगल में | फोटोग्राफी | 12000.00 | 119213.00 |
| 2 | लॉ बुक्स की दुकान नं0 2, गेट नं0 3 के पास सिविल कोर्ट परिसर | लॉ बुक्स | 1000.00 | 6600.00 |
| 3 | मन्दिर वाली चाय की दुकान नं0 3, गेंट नं0 3 के बाहर रोडवेज वर्कशॉप के सामने | चाय | 4000.00 | 41250.00 |
| 4 | रोडवेज वर्कशाप मंदिर से लगी छोटे शटर की दुकान नं0 4 | पान की दुकान | 1000.00 | 6600.00 |
| 5 | बहुखण्डी भवन प्रथम तल स्थित कैंटीन दुकान सं0 5 | जलपान | 30000.00 | 297825.00 |
| 6 | बहुखण्डी भवन तृतीय तल स्थित कैंटीन दुकान सं0 6 | जलपान | 50000.00 | 499125.00 |
| 7 | बहुखण्डी भवन पंचम तल स्थित कैंटीन दुकान सं0 7 | जलपान | 30000.00 | 297825.00 |
| 8 | जलपान हेतु कैन्टीन दुकान नं0 8 पुराना हाईकोर्ट परिसर गेट नं0 8 के पास | जलपान | 10000.00 | 99000.00 |
| 9 | भोजनालय दुकान नं0 9 पुराना हाईकोर्ट परिसर गेट नं 8 के पास | भोजनालय | 21000.00 | 206250.00 |
| 10 | सिंगल शटर दुकान नं0 10 पुराना हाईकोर्ट परिसर गेट नं0 8 के पास | जलपान | 6000.00 | 61875.00 |
| 11 | सिंगल शटर दुकान नं0 11 पुराना हाईकोर्ट परिसर गेट नं0 8 के पास | फोटोस्टेट | 3500.00 | 33825.00 |
| 12 | सिंगल शटर दुकान नं0 12 पुराना हाईकोर्ट परिसर गेट नं0 8 के पास | फोटोस्टेट | 5000.00 | 51563.00 |
| 13 | सिंगल शटर दुकान नं0 13 पुराना हाईकोर्ट परिसर गेट नं0 8 के पास | फोटोस्टेट | 5000.00 | 50738.00 |
| 14 | डबल शटर दुकान नं0 14 पुराना हाईकोर्ट परिसर गेट नं0 8 के पास | जलपान | 13000.00 | 132825.00 |
| 15 | डबल शटर दुकान नं0 15 पुराना हाईकोर्ट परिसर गेट नं0 8 के बाहर | फोटोस्टेट | 13500.00 | 136538.00 |
| | **प्रस्तावित वाहन पार्किंग का विवरण** | | | |
| 1 | माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ कैसरबाग स्थित पुराने परिसर में गेंट नं0 4 व 5 के पास कार पार्किंग स्टैण्ड | स्टैण्ड | 5000.00 | 49500.00 |
| 2 | माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ कैसरबाग स्थित पुराने परिसर में गेंट नं0 7 के पास मोटर साईकिल/साइकिल पार्किंग | पार्किंग | 2500.00 | 24750.00 |
| 3 | माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ कैसरबाग स्थित पुराने परिसर में गेंट नं0 9 के पास वाहन स्टैण्ड | स्टैण्ड | 1600.00 | 16500.00 |

उपरोक्त में अंकित धरोहर नगद धनराशि इस जनपद न्यायालय के केन्द्रीय नजारत में नीलामी की नियत तिथि दिनांक 20.06.2020 से पूर्व दिनांक 18.06.2020 तक अपरान्ह 02 बजे से 04 बजे तक जमा कर उससे सम्बन्धित प्राप्ति रसीद प्राप्त की जा सकेगी। प्रतिभूति की धनराशि जमा न करने की स्थिति में उसे नीलामी बोली का अधिकार नहीं होगा।

उपरोक्त नीलाम होने वाली किराये पर दुकानो/कैन्टीनों/भोजनालयों व वाहन स्टैण्डों की नीलामी से सम्बन्धित अन्तिम बोली जिस प्रतिभागी के पक्ष में छूटेगी उस पर नियमानुसार कर की धनराशि अलग से जमा करना अनिवार्य होगा तथा अन्तिम बोली की धनराशि का 50 प्रतिशत तुरन्त नीलामी स्थल पर जमा करना होगा तथा अन्तिम बोली का अवशेष 50 प्रतिशत की धनराशि 7 दिवश में जमा करना होगा।

उपरोक्त से सम्बन्धित जमा की जाने वाली धनराशि नगद जमा की जावेगी, उससे सम्बन्धित किसी प्रकार की चेक/ड्राफ्ट एवं बिल आदि ग्रहण नहीं किया जावेगा।

उपरोक्त नीलामी की तिथि से किसी प्रकार का परिवर्तन/वृद्धि किये जाने अथवा स्वीकृति/अस्वीकृति का अधिकार तथा किसी प्रकार के विवाद के लिए अन्तिम निर्णय लिये जाने का अधिकार माननीय जिला जज, लखनऊ के अधीन सुरक्षित होगा, जो सभी को मान्य होगा।

08.06.2020

(दुर्गा नरायन सिंह)
अपर जिला जज, कोर्ट नं0–1
जनपद न्यायालय, लखनऊ

8/6/2020 12:56 PM

संलग्नक–1

## कार्यालय जनपद न्यायाधीश, लखनऊ।

### दुकानों, कैण्टीन एवं भोजनालय हेतु ठेके की शर्तें

1. **दुकानें/कैण्टीन/भोजनालय जहाँ है, की स्थिति में संचालन के लिये अनुज्ञप्ति पर दिये जाने हेतु नीलामी वित्तीय वर्ष 2020–21 तक के लिये होगी।** दुकानों की नीलामी प्रकिया बोली के माध्यम से **दिनांक 20.06.2020** को अपरान्ह **01.00** बजे जनपद न्यायालय लखनऊ परिसर में स्थित उत्तरी भवन के सभागार कक्ष में प्रारम्भ की जायेगी।
2. सभी दुकानें/कैण्टीन/भोजनालय की अलग–अलग नीलामी के लिये बोली बोलने वाले व्यक्ति को नीलामी में भाग लेने हेतु अग्रिम जमानत राशि हेतु अखबार में दी गयी सूचना के आधार पर जमा करनी होगी, जो नीलामी समाप्त होने पर, नीलामी में असफल व्यक्ति को नीलामी समिति के आदेश से नियमानुसार वापिस कर दी जायेगी।
3. **नीलामी में भाग लेने हेतु प्रत्येक इच्छुक व्यक्ति को सादे कागज पर आवेदन पत्र व निर्धारित धरोहर धनराशि के साथ जनपद न्यायालय लखनऊ के नजारत अनुभाग में उपस्थित होकर आवेदन पत्रों को दिनांक 18.06.2020 को अपरान्ह 12.30 बजे तक जनपद न्यायालय लखनऊ के नजारत अनुभाग में जमा किया जा सकता है।**
4. स्थित दुकानें/कैण्टीन/भोजनालय को जिस प्रयोजन हेतु आबंटित किया जायेगा। उनका प्रयोग उसी कार्य के लिये किया जायेगा।
5. बोली में सफल व्यक्ति को दुकानें/कैण्टीन/भोजनालय की भौतिक स्थिति में किसी भी प्रकार का स्थायी व अस्थायी परिवर्तन नहीं करेंगा। और न ही दुकानें/कैण्टीन/भोजनालय की भौतिक स्थिति को नुकसान पहुचायेगा।
6. नीलामी उपरोक्त स्वीकृत होने के तुरन्त बाद नीलामी स्थल पर नीलामी राशि का 50 प्रतिशत की धनराशि तत्काल जमा करना होगा जिसे किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा यदि उक्त 50 प्रतिशत की धनराशि नीलामी स्थल पर जमा नही किया जावेगा तो जमानत के रूप में जमा धनराशि सरकार के पक्ष में जब्त कर लिया जावेगा एवं सम्बन्धित नीलामी निरस्त करके ठेके के आवंटन की प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ की जावेगी।
7. नीलामी उपरोक्त का कब्जा एक सप्ताह के अन्दर प्राप्त करना अनिवार्य होगा एवं उससे सम्बन्धित 50 प्रतिशत की बकाया धनराशि का भुगतान करने के पश्चात ही कब्जा हस्तगत कराया जावेगा। यदि नियत अवधि में बकाया धनराशि जमा नही की जाती है तो उस स्थिति में जमा की गयी धनराशि को किसी भी दशा में वापस नही किया जावेगा तथा सम्बन्धित का नीलामी निरस्त समझा जावेगा एवं नीलामी आवंटन की कार्यवाही पुनः नये सिरे से प्रारम्भ की जावेगी।
8. जिला, जज लखनऊ को नीलामी स्वीकार करने व निरस्त करने एवं नीलामी की तिथि में परिवर्तन करने का अधिकार पूर्ण रूप से सुरक्षित होगा।
9. दुकानो/कैण्टीन भवन में विद्युत उपभोग किये जाने के लिए विद्युत विभाग से स्वयं की विद्युत संयोजन लेकर विद्युत का उपभोग किया जायेगा उससे सम्बन्धित मासिक किराया प्रत्येक माह में जमा करते हुए रसीद की छायाप्रति न्यायालय अर्थात केन्द्रीय नजारत में जमा करना अनिवार्य होगा।
10. किसी भी स्थिति में दुकानें/कैण्टीन/भोजनालय को खाली करते समय दुकानें/कैण्टीन/भोजनालय संचालक द्वारा लगाये गये बिजली मीटर को लेसा को समर्पित करते हुये आदेयता प्रमाण पत्र लेते हुये उसकी प्रति जनपद न्यायालय लखनऊ के नजारत अनुभाग में प्रस्तुत करेगा।
11. जनपद न्यायालय लखनऊ प्रशासन को बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी कार्यदिवस में कार्यावधि के दौरान दुकानें/कैण्टीन/भोजनालय के स्थल का भौतिक निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
12. उक्त अच्छी गुणवत्ता वाले फर्नीचर जैसे टेबल और कुर्सी सेवा प्रदाता द्वारा प्रबन्ध किया जायेगा। उक्त दुकानें/कैण्टीन/भोजनालय के रख–रखाव का कार्य सेवा प्रदाता द्वारा स्वयं किया जायेगा।
13. सेवा प्रदाता द्वारा बेचे जाने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, मात्राा और कीमत तथा खान–पान सुविधाओं रख–रखाव और सेवा स्तरों का निरीक्षण करने का अधिकार न्यायालय प्रशान के पास होगा।
14. सेवा प्रदाता उक्त कैन्टीन व भोजनालय में कोई अवैध अनैतिक या विधि विरूद्ध कार्य नहीं करेगा अन्यथा अनुबन्ध तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
15. ठेकेदार द्वारा स्थित दुकान व कैण्टीन भवन एवं उसके आस–पास की सफाई व्यवस्था स्वयं कराई जावेगी एवं उसे पूर्ण रूप से साफ–सुथरा रखना होगा तथा कूड़ा आदि के लिए ड्रम आदि का प्राविधान करने की स्वयं व्यवस्था की जावेगी। ठेकेदार को रु0 5000/– प्रतिभूति (सिक्योरिटी) के रूप में इस आशय के साथ जमा करना होगा, यदि ठेकेदार सफाई कराने में असमथ पाया जाता है तो न्यायालय द्वारा सफाई का कार्य सम्पादित कराया जावेगा तथा जमा प्रतिभूति की धनराशि में रु0 100/– प्रतिदिन की दर से सफाई कर्मचारी को पारिश्रमिक का भुगतान न्यायालय द्वारा कर दिया जावेगा यदि नीलामी की अवधि में न्यायालय को सफाई कराने की कोई व्यवस्था नहीं करनी पड़ती है तो सिक्योरिटी की जमा धनराशि नीलामी समाप्त होने पर सम्बंधित ठेकेदार को वापस कर दी जावेगी।
16. कैण्टीन में बिक्री की जाने वाली प्रत्येक खाद्य एवं पेय सामग्री गुणवत्ता के साथ निर्मित कर बिक्री की जावेगी तथा उनकी बिक्री दर माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय से स्वीकृत कराने के पश्चात् मूल्य सूची का लगाया जाना अनिवार्य होगा तथा उपरोक्त कैण्टीन एवं दुकाने प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः से खुलकर सांय 5:00 बजे बन्द होगी। उक्त कैण्टीन एवं दुकानां से सम्बन्धित कोई भी कार्यकर्ता एवं ठेकेदार कैण्टीन कक्ष अथवा परिसर में उपस्थित नहीं रहेगा।

17. कैण्टीन व भोजनालय में रखे जाने वाले खाद्य पदार्थों की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं कैण्टीन व भोजनलाय संचालक की होगी तथा जनपद न्यायालय लखनऊ किसी भी दशा में चोरी, सेंध, आग या किसी अन्य घटना, यदि कोई भी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
18. जिस व्यक्ति द्वारा नीलामी उपरोक्त लिया जावेगा उसे अपने व्यय पर निर्धारित मूल्य के जनरल स्टैम्प पर ठेके की सभी शर्तों का एक अनुबन्ध पत्र कब्जा प्राप्त करने की तिथि को निष्पादित करना होगा कि वह दी गयी सभी शर्तों के अन्तर्गत नीलामी चलाने में असमर्थ पाया जाता है तो उसे निरस्त करते हुये कब्जा वापस ले लिया जावेगा तथा उन परिस्थितियों में उसके द्वारा जमा की गयी कुल धनराशि जब्त किये जाने में उसे कोई आपत्ति नही होगा।
19. नीलामी उपरोक्त दिनांक 01.07.2020 से 31.03.2021 के लिये वैध होगा। ठेकेदार अपना नाम, फोटों स्थायी व पत्र व्यवहार का पता एवं कार्यरत् कर्मचारियों के नाम पता मय फोटो कब्जा लेने की तिथि को प्रस्तुत करना अनिवार्य होना तथा सम्बन्धित कैण्टीनों एवं दुकानों में किसी प्रकार का कोई फर्नीचर आदि न्यायालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जायेगा, उसकी व्यवस्था ठेकेदार द्वारा स्वय की जावेगी।
20. ठेकेदार व कार्यरत् कर्मचारियों को सभी के साथ अपना वयवहार विनम्र रखना होगा। यदि उसके वयवहार में कोई शिकायत माननीय जिला जज, एवं प्रभारी अधिकारी नजारत को की जाती है तो माननीय जिला जज, लखनऊ महोदय का निणर्य सम्बन्धित ठेकेदार को मान्य होगा जो कि नीलामी निरस्त की सीमा तक हो सकता है एवं उक्त स्थिति में उसके द्वारा जमा धनराशि को जब्त भी किया जा सकता है।
21. ठेकेदार द्वारा उक्त कैण्टीन के ठेके को शिकमी किरायेदारी पर देने का अधिकार नहीं होगा, यदि ठेकेदार उक्त नीलामी किसी अन्य व्यक्ति को शिकमी किरायेदारी पर देता है तो उसका नीलामी निरस्त करते हुये उसके द्वारा जमा की गयी सम्पूर्ण धनराशि सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जावेगी एवं कैण्टीन एवं दुकानों का कब्जा वापस ले लिया जावेगा।
22. ठेकेदार नीलामी चलोन के लिये किसी अवांछनीय अपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को नहीं रेखागा। यदि ठेकेदार द्वारा उपरोक्त से सम्बन्धित नियुक्त कोई व्यक्ति को इस न्यायालय के अधिकारियों द्वारा अपने व्यवहार या अन्य किसी कारण से अवांछनीय पाया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को तात्कालिक प्रभाव से सम्बन्धित ठेकेदार को हटाना होगा।
23. बहुखण्डी भवन के तलों पर संचालित की जाने वाली कैण्टीन के ठेकेदार द्वारा सभी खाद्य सामग्रियों को शीशा लगे बाक्स के अन्दर ढककर सुरक्षित यपसे रखना अनिवार्य होगा।
24. सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा उक्त कैण्टीनों एवं दुकानों में भविष्य में अग्निकाण्ड जैसी होने वाली अप्रत्याशित घटना की दृष्टि से उसमें सुरक्षा की हेतु अग्निशमन यन्त्रों को अपने व्यय पर लगाया जाना अनिवार्य होगा।
25. यदि ठेकेदार द्वारा दी गयी शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लघंन किया जाता है तो ठेकेदार का नीलामी निरस्त करते हुये उसके द्वारा जमा की गयी सम्पूर्ण धनराशि सरकार के पक्ष में जब्त की जा सकती है एवं ठेके का कब्जा वापस लिया जा सकता है।
26. वैश्विक महामारी कोविड 19 के प्रभाव व प्रसार को देखते हुए सामाजिक/शारीरिक दूरी बनाये रखना अनिवार्य होगा। सभी सम्मिलित व्यक्तियों को मास्क का प्रयोग करना आवश्यक होगा। थर्मल स्कीनिंग के बाद ही नीलामी प्रकिया में भाग लेने की अनुमति होगी। किसी भी अस्वस्थ व्यक्ति को कदापि भी नीलामी प्रकिया में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, राज्य सरकार व केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।

5-6-20
(आनन्द प्रकाश सिंह)
सदस्य नीलामी समिति/अपर
जिला जज, कोर्ट नं0–6
लखनऊ।

(पी0एम0 त्रिपाठी)
सदस्य नीलामी समिति/विशेष
न्यायाधीश एस0एस0–एस0सी0 ऐक्ट,
लखनऊ।

05.06.2020
(दुर्ग नरायन सिंह)
अध्यक्ष नीलामी समिति/अपर
जिला जज, कोर्ट नं0–1,
लखनऊ।

## कार्यालय जनपद न्यायाधीश, लखनऊ।

### जनपद न्यायालय लखनऊ के नवीन परिसर (माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ के पुराने परिसर) में स्थित वाहन स्टैण्डों की नीलामी की शर्तें

1. **वाहन स्टैण्ड संचालन के लिये वित्तीय वर्ष 2020–21 तक अनुज्ञप्ति पर देने हेतु नीलाम की जायेगी।** वाहन स्टैण्ड की नीलामी प्रकिया बोली के माध्यम से दिनांक **20.06.2020** को अपरान्ह **04.00** बजे जनपद न्यायालय लखनऊ परिसर में स्थित उत्तरी भवन के सभागार कक्ष में की जायेगी।
2. अनुबन्धकर्ता को निविदा स्वीकृत होने पर तत्काल स्वीकृत धनराशि का 50 प्रतिशत धनराशि तत्काल केन्द्रीय नजारत अनुभाग में जमा किया जाना आवश्यक होगा।
3. **नीलामी में भाग लेने हेतु प्रत्येक इच्छुक व्यक्ति को सादे कागज पर आवेदन पत्र व निर्धारित धरोहर धनराशि के साथ जनपद न्यायालय लखनऊ के नजारत अनुभाग में उपस्थित होकर आवेदन पत्रों को दिनांक 18.06.2020 को अपरान्ह 12.30 बजे तक जनपद न्यायालय लखनऊ के नजारत अनुभाग में जमा किया जा सकता है।**
4. नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आवेदन पत्र के साथ अपने आधार कार्ड/मतदाता पहचान/ड्राइविंग लाइसेंस की एक छायाप्रति संलग्न करनी होगी।
5. उक्त स्टैण्ड की नीलामी में जिस बोली बोलने वाले व्यक्ति की अन्तिम बोली स्वीकार की जायेगी, उसे बोली की 50 प्रतिशत धनराशि तुरन्त जमा करनी होगी। सफल व्यक्ति को नीलामी की शेष 50 प्रतिशत धनराशि में से 25 प्रतिशत धनराशि नीलामी के दस दिवस के अंदर जमा करनी होगी।कब्जा लेने से पूर्व जमा करनी अनिवार्य होगी तथा शेष 25 प्रतिशत धनराशि कब्जा लेने के 45 दिवस की अवधि के अन्दर जमा करनी होगी, अन्यथा बोली निरस्त करके अग्रिम जमानत की धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा पहले से जमा 50 प्रतिशत धनराशि भी नीलामी समिति के विवेकानुसार जब्त की जा सकती है।
6. अन्य व्यक्तियों से अनुबन्धकर्ता रूपया 5.00 प्रति साईकिल, रूपया 10.00 प्रति स्कूटर/मोटर साइकिल तथा रूपया 20.00 प्रति कार की दर से वसूलेगा। साइकिल हेतु मासिक पास रूपया 50.00 प्रतिमाह, स्कूटर/मोटर साइकिल हेतु रूपया 100.00 प्रतिमाह तथा कार हेतु रूपया 150.00 प्रतिमाह की दर से जारी किया जा सकता है तथा विशेष परिस्थितियों व समय–समय पर उपरोक्त दर वृद्धि, समिति द्वारा की जा सकती है।
7. अनुबन्धकर्ता को वाहन रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उचित टोकन देना होगा।
8. पार्किंग व स्टैण्ड में वाहनों की सुरक्षा अनुबन्धकर्ता द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। पार्किंग व स्टैण्ड से चोरी गये वाहन का या उसे किसी प्रकार की क्षति पहुँचने पर पूर्णतः दायित्व अनुबन्धकर्ता का होगा।
9. पार्किंग स्थल के अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ के कैसरबाग स्थित पुराने परिसर जिसे जनपद न्यायालय लखनऊ को हस्तगत किया गया हे, के प्रागंण में प्रत्येक स्कूटर/मोटर साइकिल, साइकिल व कार को उठाकर अनुबन्धकर्ता को सम्बन्धित पार्किंग स्थल पर ले जाने का अधिकार होगा तथा आवश्यक पहचान एव निर्धारित शुल्क रूपया 50.00 मात्र साईकिल, रूपया 100.00 मात्र मोटरसाईकिल तथा रूपया 200.00 मात्र कार हेतु अर्थ दण्ड के रूप में वसूल करने के बाद ही वह उक्त वाहन को उसके स्वामी को हस्तांतरित करेगा।
10. अनुबन्धकर्ता को अपने नाम, पता एवं कार्यरत कर्मचारियों के नाम व मोबाइल नम्बर स्टैण्उ खुलने एवं बन्द होने के समय का बोर्ड प्रत्येक स्टैण्ड पर लगाना होगा।
11. अनुबन्धकर्ता स्टैण्ड चलाने के लिये किसी अवांछनीय/आपराधिक किस्म के व्यक्ति को नहीं रखेगा। यदि अनुबन्धकर्ता द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति न्यायालय द्वारा अपने व्यवहार या अन्य किसी कारण से अवांछनीय पाया जायेगा तो ऐसे व्यक्ति को अनुबन्धकर्ता को हटाना होगा।
12. अनुबन्धकर्ता को अपना व्यवहार विनम्र रखना होगा। यदि उसके व्यवहार में कोई शिकायत प्रभारी अधिकारी (नजारत) के पास की जाती है तो प्रभारी अधिकारी (नजारत) का निर्णय अनुबन्धकर्ता को मान्य होगा, जो कि अनुबन्ध निरस्त किये जाने तक हो सकता है। ऐसे हालात में उसके द्वारा जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
13. अनुबन्धकर्ता को सम्बन्धित स्टैण्ड को सिकमी किरायेदारी पर देता है तो उसका अनुबन्ध रद्द कर दिया जोयगा। उसके द्वारा जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा स्टैण्ड का कब्जा ले लिया जायेगा।
14. अनुबन्धकर्ता को स्टैण्ट साफ सुथरा रखना होगा, जिससे किसी प्रकार की लिये एक ड्रम का प्राविधान करना होगा। अनुबन्धकर्ता को रूपया 5000.00 मात्र सिक्योरिटी के रूप में इस आशय से जमा करना होगा कि यदि अनुबन्धकर्ता सफाई कराने में असमर्थ पाया जाता है तो न्यायालय स्वयं सफाई करायेगा तथा अनुबन्धकर्ता द्वारा जमा की गयी उक्त सिक्योरिटी में से रूपया 100.00 प्रतिदिन की दर से सफाई कर्मचारी को भुगतान कर देगा। यदि अनुज्ञप्ति की अवधि में अनुबन्धकर्ता स्वयं सफाई की व्यवस्था बनाये रखता है तथा न्यायालय को सफाई कराने की कोई व्यवस्था नहीं करनी पड़ती है तो जमा सिक्योरिटी अनुबन्ध समाप्त होने पर अनुबन्धकर्ता को वापस कर दी जायेगी।

15. प्रत्येक कार्य दिवस पर अनुबन्धकर्ता को स्टैण्ड नियमित रूप से सुबह 08.30 बजे से शाम 6.30 बजे तक खोलना होगा। किसी कारणवश वह किसी दिन स्टैण्ड खोलने में असमर्थ होता है तो इस आशय की पूर्व सूचना कारण सहित उसे अधोहस्ताक्षरी को भेजना होगी तथा स्टैण्ड के नोटिस बोर्ड पर इस आशय की सूचना देनी होगी। यदि बिना किसी पूर्व सूचना अथवा स्वीकृति के स्टैण्ड बन्द रखा जाता है तो अनुबन्ध समाप्त कर दिया जायेगा तथा अनुबन्धकर्ता द्वारा जमा की गयी धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा अनुबन्धकर्ता से स्टैण्ड का कब्जा ले लिया जायेगा।

16. जिस व्यक्ति को अनुबन्ध के लिये उपयुक्त पाया जायेगा उसे अपने व्यय पर निर्धारित मूल्य के जनरल स्टैम्प पर नीलामी की शर्तों का एक अनुबन्ध पत्र अनुबन्ध निर्गत की तिथि से एक सप्ताह के भीतर निष्पादित करना होगा यदि वह ऐसा करने में असमर्थ पाया जाता है तो अनुबन्ध रद्द कर दिया जायेगा तथा स्टैण्ड का कब्जा वापस ले लिया जायेगा इस परिस्थितियों में उसके द्वारा जमा की गयी कुल धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

17. उपरोक्त नियमों एवं शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने की स्थिति में अनुबन्धकर्ता का अनुबन्ध निरस्त करते हुये उसके द्वारा जमा धनराशि जनपद न्यायालय लखनऊ के पक्ष में जब्त की जा सकती है एवं स्टैण्ड का कब्जा वापस लिया जा सकता है।

18. नीलामी की उपरोक्त शर्तों में परिवर्तमन या परिवर्धन करने का अधिकार जनपद न्यायाधीश, लखनऊ को सुरक्षित रहेगा।

19. नीलामी के सम्बनध में किसी प्रकार की जानकारी व नियम व शर्तें जनपद न्यायालय के नजारत अनुभाग से किसी भी कार्य दिवस में पूर्वान्ह 10.30 बजे से शाम 03.00 बजे तक प्राप्त की जा सकती है।

20. वैश्विक महामारी कोविड 19 के प्रभाव व प्रसार को देखते हुए सामाजिक/शारीरिक दूरी बनाये रखना अनिवार्य होगा। सभी सम्मिलित व्यक्तियों को मास्क का प्रयोग करना आवश्यक होगा। थर्मल स्कीनिंग के बाद ही नीलामी प्रकिया में भाग लेने की अनुमति होगी। किसी भी अस्वस्थ व्यक्ति को कदापि भी नीलामी प्रकिया में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, राज्य सरकार व केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।

5-6-20

**(आनन्द प्रकाश सिंह)**
सदस्य नीलामी समिति/अपर
जिला जज, कोर्ट नं0–6
लखनऊ।

5-1-21

**(पी0एम0 त्रिपाठी)**
सदस्य नीलामी समिति/विशेष
न्यायाधीश एस0एस0–एस0सी0 ऐक्ट,
लखनऊ।

05-06-2020

**(दुर्ग नरायन सिंह)**
अध्यक्ष नीलामी समिति/अपर
जिला जज, कोर्ट नं0–1,
लखनऊ।